

dk; kŷ; I a Ør I pkyd , oa v/kh{k d
xkakh Lekjd fpdfRI ky;] jhok e-i z



' ; ke' kkg fpdfRI k egkfo | ky; jhok I s I æ) xkakh Lekjd
fpfdRI ky; @ I æ; xkakh Leŕr fpdfRI ky; rFkk I Hkh Nk=kokl kŷ
Vh-oh-okMŷ vkbl kysku okMŷ fpdfRI ky; ds iz kkl fud Hkoukŷ
ul ŷ Nk=kokl , oa ifjI j dh
I ŷ {kk 0; oLFkk gsrq fufonk

fufonk QkeZ , oa 'krŷ
o"ŷ 2014&15

dher : - 5000@&
¼ i ; si kŷ g tkj ek=½

' ; ke' kkg fpdfRI k egkfo | ky; jhok l s l a) xkdkh Lekjd fpdfRI ky; @l t ;
xkdkh Lefr fpdfRI ky; @l Hkh Nk=kokl ka dh l j {kk 0; oLFkk grqfufonk i x: i , oa
'krz

fufonk 'krz

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी. वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सिंग छात्रावास एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वर्ष 2014-15 के लिये निविदायें सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म एवं शर्तों की प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 5.7.2014 तक कार्यालयीन समय में सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रु. 5000/- (पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदायें दिनांक 17.7.2014 तक अपराह्न 5.00 तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। निविदायें दिनांक 18.7.2014 को दोपहर 12.30 बजे अधिष्ठाता चिकित्सा महा. रीवा कार्यालय के सभागार में खोली जायेगी। जिसमें निविदाकार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। सुरक्षा हेतु 59 सुरक्षा कर्मियों एवं 3 सुरक्षा सुपरवाइजर्स की आवश्यकता होगी। यदि कभी और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी, तो इसी दर पर सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा।

v- /kjkgj jkf'kz

2. निविदा प्रस्तुत करते समय अर्नेस्ट मनी रु. 2,50,000/- (रु. दो लाख पचास हजार मात्र) का एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अर्नेस्ट मनी प्राप्त निविदा अमान्य की जावेगी। ठेका स्वीकृत होने पर यह राशि सिव्क्युरिटी डिपोजिट के रूप में जमा रखी जायेगी। असफल निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस की जावेगी, परन्तु द्वितीय निविदाकार की जमानत राशि 6 माह बाद वापस की जायेगी। यदि ठेका स्वीकृत होने के बाद निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो यह अर्नेस्ट मनी वापस नहीं की जावेगी व जप्त कर ली जावेगी।

c- rduhdh 'krz , oa ; kx ; rkz

3. निविदा दाता को सुरक्षा एजेंसी की स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
4. सुरक्षा एजेंसी का संबंधित पुलिस थाने का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है जिस क्षेत्र में वह स्थित है।
1. सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कार्य प्रति वर्ष कम से कम रु. 25 लाख का होना अनिवार्य है। सी.ए. का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

6. सुरक्षा एजेंसी को कम से कम एक ही परिसर में कार्यरत 100 कर्मचारियों वाले शासकीय कार्यालय/संस्था/अस्पताल में सुरक्षा कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। उपरोक्त कार्य अनुभव की सूचीमय संबंधित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगी।
7. निविदाकार को सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सेवाकर में छूट प्राप्त हो तो संबंधित विभाग का तदाशय का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
8. निविदा के साथ निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2011-2012, 2012-013 एवं वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य कर बकाया न होने का शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करा कर देना होगा।
9. सुरक्षा एजेंसी संस्था की वर्षान्त 2011-2012, 2012-013 व 2013- 2014 की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की स्व-प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। साथ ही उपरोक्त एकाउन्टेंट शीट के आधार पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिये कितना भुगतान किया गया इसका स्वयं द्वारा तैयार घोषणा पत्र भी लगाना होगा।
10. **V-** सुरक्षा कर्मी प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। उन्हें प्रशिक्षित कराने के लिये किसी मान्य संस्था या सेवानिवृत्ति सैनिक अधिकारी से प्रशिक्षित होना चाहिये। इस हेतु सेवा निवृत्ति फौजी या पुलिस कर्मी को प्राथमिकता दी जावेगी। कार्य प्रारम्भ करने पर एक माह में पुलिस सत्यापन कराकर पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
C- सुरक्षा एजेंसी आई.एस.ओ. प्रमाणित होना चाहिये।
11. फर्म श्रम एवं अन्य वैधानिक कानून पालन के लिये जबाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। फर्म को कार्य पर रखे गये कर्मचारियों के संबंध में श्रम अधिनियम 1970 का पालन करना होगा एवं प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगा तथा समस्त श्रम नियमों एवं उनकी जमा होने वाली राशि जैसे- ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स एवं भविष्य में कोई लिये कोई अलग से भुगतान नहीं करेगी। निविदाकार को सुरक्षाकर्मियों का भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा। इस हेतु कर्मचारियों के बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. तकनीकी बिड में अगर निविदाकार द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दी जाती है तो प्रबंधन द्वारा तत्काल निविदा अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात कर द्वितीय ठेकेदार को, जो तकनीकी योग्यता रखता होगा दे दी जावेगी जिसके लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
13. सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अर्द्ध कुशल मजदूरी दर से कम का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया जावेगा। निविदा स्वीकृत दर से कम राशि का भुगतान की शिकायत आने पर अधिष्ठाता/अधीक्षक द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

14. अनुबंध के समय ठेकेदार द्वारा सुरक्षा कर्मियों की सूचीमय फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य न करने पर देयक के भुगतान में यदि विलम्ब होता है तो आपके द्वारा स्वयं के स्रोतों से सुरक्षा कर्मियों का भुगतान नियत समय पर किया जाना अनिवार्य होगा।

I - vU; I kekU; 'kr%

15. **fufonk es rduhdh : i I s ;k%; ?k%kr Qek dh gh eW; I xkh fcM [ksh tk; xh] vr% vkond fufonkdh vuLV euh] rduhdh fcM ¼ i = , ½ , oa eW; dh fcM ¼ i = ch½ vyx&vyx nks fyQkQka ea I hy cn djds mlga , d cMs fyQkQa I h es j [kdj rFk ml sHh I hycn dj iLr djx**
16. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 100 रु. के नान जूडिसियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिस पर निविदाकार एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा के हस्ताक्षर होंगे।
17. संविदा शर्तों के उल्लंघन एवं सुरक्षा कर्मियों के आचरण संबंधी उल्लंघन होने पर संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक को प्रति प्रकरण रु. 1000/- तथा अधिष्ठाता को रु. 5000/- तक दण्ड लगाने का अधिकार होगा। जिसकी वसूली निविदाकार के आगामी भुगतान से की जावेगी।
18. सुरक्षाकर्मी का कम से कम 10 वीं पास होना अनिवार्य होगा तथा हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान हो।
19. सुरक्षाकर्मियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उन्हें कार्य पर लगाने के पूर्व आवश्यक रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। मेडिकल फिटनेस कराने हेतु चिकित्सालय के द्वारा गठित डाक्टरों की समिति से मेडिकल कराना होगा। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। सुरक्षाकर्मी की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। सुरक्षा सुपरवाइजर का सीना भी कम से कम 76 सेंमी. तथा वजन कम से कम 50 किलो. होना चाहिये। सुरक्षा कर्मियों की न्यूनतम उँचाई 5 फिट 5 इंच तथा सीना कम से कम 76 सेंमी. तथा वजन कम से कम 50 किलो. होना चाहिये। सुरक्षा कर्मी सुपरवाइजर का कम से कम स्नातक पास होना अनिवार्य है एवं सामान्यतया कम से कम 5 फिट 6 इंच लम्बाई होनी चाहिये।
20. यह फर्म की जबाबदारी होगी कि अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी, नेमप्लेट, मौजा, सीटी, जूता, रेनकोट, सुरक्षा सामग्री आदि उन्हें उपलब्ध कराये। वर्दी का रंग निविदाकार द्वारा स्वयं घोषित किया जावेगा एवं ठेका मिलने पर तदानुसार रखना होगा। ड्यूटी के साथ प्रत्येक कर्मचारी की नेमप्लेट भी लगाना होगी।
21. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को सुरक्षा हेतु डंडा, सीटी, अन्य सामग्री हथियार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वर्दी पर संस्था के नाम का उल्लेख होना आवश्यक होगा।

22. सुरक्षा सुपरवाइजर तथा सुरक्षाकर्मी किसी भी एक स्थल पर दो माह से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे तथा समस्त सुरक्षाकर्मियों को बारी-बारी से ड्यूटी लगाना सुरक्षा एजेंसी का दायित्व होगा। सुरक्षाकर्मियों को पार्किंग स्थल पर पार्क किये गये समस्त वाहनों की चैकिंग करना होगी तथा वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े हो यह सुनिश्चित करना होगा।
23. निविदादाता सुरक्षा व्यवस्था करने में यदि असफल होता है तथा वह स्वयं ठेका छोड़ता है तो उस स्थिति में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा द्वारा बिना किसी भी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जावेगा एवं शेष अवधि का ठेका द्वितीय न्यूनतम बोली लगाने वाले निविदादाता एवं जो तकनीकी बिड में भी सफल रहा हो को दिया जा सकेगा। संधारण ठेके पर यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके के अन्तर की राशि पूर्व निविदादाता से वसूल की जावेगी। साथ ही सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सुपरवाइजर, ठेकेदारी संस्था द्वारा नियुक्त किये जावेंगे तथा भुगतान ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा। सुपरवाइजर सीधे संबंधित जो क्षेत्र उन्हें सौंपा गया है वहाँ के चिकित्सालयों के अधीक्षक एवं महाविद्यालय में वार्डन एवं मुख्य वार्डन छात्रावास, चिकित्सा महाविद्यालय को रिपोर्ट करेंगे तथा उनकी संतोषजनक रिपोर्ट एवं सत्यता के आधार पर भुगतान किया जावेगा। सुरक्षाकर्मियों, सुरक्षा सुपरवाइजर का भुगतान ठेकेदार द्वारा अधीक्षक एवं वार्डन की संतोषजनक कार्य की अनुशंसा के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विलम्ब के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों को समय पर भुगतान करना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
25. फर्म की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज, चिकित्सालयों को अथवा उसकी सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की हानि होने पर फर्म से वसूली योग्य होगी एवं यह वसूली जमा की गयी सिक्यूरिटी राशि व धरोहर राशि एवं फर्म के देयक की राशि में से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी। यदि किसी प्रकार की हानि मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों को नहीं होती है तो उस स्थिति में फर्म को उक्त राशि समयावधि के पश्चात् मूलतः वापिस की जावेगी। धरोहर राशि एवं सिक्यूरिटी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। फर्म से स्रोत पर आयकर नियमानुसार कटौती योग्य होगा।
26. सभी विवादों के निपटारे हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध को बिना पूर्व सूचना व किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का होगा।

27. यदि स्वीकृत निविदादाताओं के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण आपसी चर्चा कर किया जावेगा तथा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्यायिक क्षेत्र रीवा होगा।
28. निविदाकर्त्ता को ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स आदि की राशि उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये सभी कर्मियों हेतु नियमानुसार संबंधित कार्यालयों में प्रतिमाह जमा कराना होगी। इसके प्रमाण स्वरूप सभी जमा चालानों की प्रतियाँ आगामी देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी अन्यथा आगामी देयक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार फर्म की होगी।
29. राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सभी करों एवं शुल्कों की दरों के बारे में प्रमाण के तौर पर केन्द्र एवं राज्य शासन के संबंधित आदेशों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
30. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी एक शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर रखी जा सकेगी। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी रहेंगा। तथा इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
31. निविदाकर्त्ता द्वारा प्रति सुरक्षा कर्मी प्रतिमाह की जो दर टेन्डर फार्म में अंकित की जावेगी वह केन्द्र तथा राज्य शासन के सभी प्रकार के अंशदानों, टैक्सों, शुल्कों एवं आयकर आदि को मिलाकर होना चाहिये।
32. कार्य सम्पादन के दौरान सुरक्षाकर्मी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना/मृत्यु आदि होने पर उसका पूर्ण दायित्व संबंधित निविदाकर्त्ता का होगा तथा उक्त हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान/मुआवजा इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा। सुरक्षाकर्मी की दुर्घटना/मृत्यु आदि का बीमा आदि फर्म की जिम्मेदारी होगी।
33. ठेका प्रारम्भ होने के बाद ठेकेदार को अपना प्रतिमाह का देयक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा से संतोषजनक कार्य प्रमाणित करवाकर प्रतिमाह अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अधीक्षकों, वार्डन द्वारा सत्यापन के समय कार्य आदि के प्रति संतोषप्रद कार्य व्यक्त करने पर अथवा शिकायत का उल्लेख होने पर देयक में से प्रति दिन प्रति टीप पर न्यूनतम रु. 1000/- तक कटौती की जाकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
34. कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेगा। नशे की स्थिति में पाये जाने पर तथा अभद्रता तथा अन्य शिकायत प्राप्त होने पर तथा पुष्टि होने पर प्रबंधन द्वारा निर्देश देने पर उक्त सुरक्षाकर्मी को तत्काल सेवा से पृथक करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा। उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

35. निविदा प्रपत्र में केवल राशियाँ अंकित की जावेगी उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या नोट या शर्तें लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
36. उपरोक्त ठेके के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
37. अगर तकनीकी बिड में किसी कारणवश एक ही फर्म/संस्था निर्धारित योग्यता रखती है तो उसी फर्म/संस्था को जनहित में ठेका दिया जा सकेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही मूल्य बिड खोली जाकर निर्णय लिया जावेगा।
- n- dRrD; , oankf; Ro &¼ rksktud dk; Z dseki n.M fu; ekuđ kj glx#½**
38. 24 घण्टे सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीज के भर्ती के समय तथा मरीज की छुट्टी के समय सुरक्षा जाँच करनी होगी, तथा अस्पताल में स्टोब, गैस, हथियार, नुकीले चीजें, नसीले पदार्थ, अनावश्यक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, खानपान की वस्तुओं (मरीज का खाना, चाय, दूध, तैयार खाना आदि छोड़कर) इत्यादि के प्रवेश पर पाबंदी होगी।
39. सुरक्षाकर्मियों को सम्पूर्ण अस्पताल में लगातार भ्रमण कर यह सुनिश्चित करना होगा, कि एक मरीज के साथ एक ही परिजन उपस्थित रहे तथा यह देखना होगा कि कोई परिजन अस्पताल के अंदर फिजूल न बैठा रहे, अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त न हो, गंदगी न कर रहा हो।
40. सुरक्षा एजेंसी को अस्पताल परिसर में किसी झगडे/मारपीट के मासले में तत्काल कार्यवाही कर चिकित्सकों, मरीजों एवं मरीजों के उपस्थित परिजनों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा पुलिस से सहायता लेकर प्राथमिकी दर्ज कराना होगा। प्राथमिकी दर्ज कराना सुरक्षा एजेंसी का दायित्व होगा।
41. किसी प्रकार की निर्माण सामग्री उपकरण अन्य सामग्री कालेज, चिकित्सालय, छात्रावास परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाये यह जिम्मेदारी संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी। इस कार्य हेतु एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक वाहन का नम्बर अंकित होगा तथा सामग्री/उपकरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से संचालित होते हैं अतः सामग्री प्रवेश के लिये लोक निर्माण विभाग की अनुमति ली जा सकेगी।
42. फर्म की जबाबदारी रहेगी कि चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालयों, छात्रावासों एवं पूर्ण परिसर में कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रवेश न करे। यदि शंका होती है तो सुरक्षा कर्मी अधिकारियों आगंतुकों द्वारा लाई गई सामग्री, ब्रीफकेश, बेग व उनके वाहनों की जाँच कर सकते हैं। शंकास्पद व गैर कानूनी सामग्री पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों को सूचित करेंगे। ऐसी कार्यवाही करने में फर्म द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय को सहयोग देना अनिवार्य होगा।
43. सायंकाल 4.00 बजे से 6.00 बजे तक की समयावधि में रोगियों से भेंट करने वालों का समय निर्धारित रहेगा। इस अवधि में व्यवस्था की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

44. सुरक्षाकर्मियों को बाहर से आने वाले मरीजों को तथा जरूरमंद मरीजों तथा परिजनों को हर प्रकार की मदद प्रदाय करनी होगी जैसे अस्पताल से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान कराना। इस हेतु चिकित्सक, दाई, आया, मैट्रन, लैब, भोजन, सफाई कर्मचारी इत्यादी समस्त स्टाफ से सामंजस्य बैठकर मदद का कार्य सम्पादित कराना अनिवार्य होगा।
45. महाविद्यालय/चिकित्सालय परिसर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं एजेंसी के तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अस्पताल/महाविद्यालय के रास्तों में कोई व्यक्ति रास्तों पर खड़े रहकर अवरोध उत्पन्न न करे। अस्पताल/महाविद्यालय/छात्रावास परिसर में कुत्तों, गाय, भैंस, आदि जानवर इत्यादि आने से/रहने से रोकने का दायित्व एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों का रहेगा। सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रतिमाह दिनांक 25 तक संबंधित विभागाध्यक्ष/अधिकारी को लिखित में सूचना देनी होगी कि उक्त विभाग/स्थल पर कौन-कौन सुरक्षाकर्मियों किस-किस पाली में तैनात किये जायेंगे। उस सूची के प्राप्त होने पर संस्था द्वारा नियुक्त सुरक्षा सुपरवाइजर द्वारा सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति एवं किये गये कार्य का बिन्दुवार सत्यापन की व्यवस्था कर सत्यापित कर एक प्रति सुरक्षा एजेंसी को एवं एक-एक प्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा को प्रस्तुत करेंगे।
46. सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सुपरवाइजर यह भी देखें कि यहाँ वहाँ कोई गंदगी अथवा कचरा न फैलाये एवं यदि गंदगी अथवा कचरा फैलाया है तो उसे गंदगी करने अथवा कचरा फेंकने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। फैले हुये कचरे एवं गंदगी की सूचना भी सफाई कर्मियों को देना होगी।
47. जो सुरक्षाकर्मी जिस स्थान पर ड्यूटी करेगा वह वहाँ के ड्यूटी रजिस्टर पर ड्यूटी शुरू करते समय एवं ड्यूटी छोड़ते समय हस्ताक्षर करेगा। कोई भी सुरक्षाकर्मी उस वक्त तक ड्यूटी नहीं छोड़ेगा जब तक आगे की ड्यूटी हेतु निर्धारित सुरक्षाकर्मी कार्य पर उपस्थित नहीं हो जाता है। इसकी उपस्थिति संबंधित विभागाध्यक्ष देंगे।
48. गंभीर सुरक्षात्मक दृष्टि से निपटने के लिये सतत् 24 घण्टे कम से कम 6 सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित रहे व किसी स्थान पर अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर वहाँ तत्काल सहायता के लिये पहुँच सके। इस हेतु ठेकेदार को मोबाइल फोन देना होगा।
49. यदि कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर जाता है तो उसके स्थान पर अन्य सुरक्षाकर्मी देना अनिवार्य होगा। इस हेतु रिजर्व सुरक्षाकर्मियों की लिस्ट अधीक्षक को देनी होगी।

50. उपरोक्त प्राप्त दरों पर संबंधित निविदाकारों से निगोसियेशन का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा।
51. किसी कारणवश यदि निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत नियम, शर्तों एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।
52. प्राप्त निविदाओं में किसी एक अथवा सभी को बगैर कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा /अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को होगा।

53. सुरक्षा हेतु निर्धारित स्थान निम्नानुसार हैं :-

Øekd	LFkku
1.	गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा
2.	संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा
3.	यू.जी. छात्रावास, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
4.	पी.जी. छात्रावास, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
5.	कन्या छात्रावास, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

I a Ør I pkyd , oa v/kh{k d
xkdkh Lekjd fpfdRI ky;] jhok e-i z

ii = & ,

1/4 Fke fyQkQs ea l hy can dj ar Fkk fyQkQs ij ii = , Li "V mYy f[kr dj 1/2
vuLV euh jkf'k dk fooj.k ntZ dj l af/kr ewy nLrkost ds l kfk i Fke fyQkQs ea
vuLV euh nLrkost mYy f[kr dj rsgq sj [kus grq

सुरक्षा ठेके हेतु जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित बैंक ड्राफ्ट का विवरण मय बैंक ड्राफ्ट सहित

क्रमांक	एफ.डी.आर का विवरण	का नम्बर	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक / वैधता की तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....
निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

rduhdh fcm grq i i =%& ch

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे में सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निविदाकार का नाम:-

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड	निविदाकार की जानकारी
1.	अर्नेस्ट मनी रू. 2,50,000 /-(दो लाख पचास मात्र) का एफ.डी.आर जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकि0 के नाम देय हो संलग्न करना होगा। (निविदा शर्त क्र. 2)	
2.	सुरक्षा एजेंसी की स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (निविदा शर्त क्र. 3)	
3.	सुरक्षा एजेंसी का संबंधित पुलिस थाने का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। (निविदा शर्त क्र.4)	
4.	सुरक्षा एजेंसी को 25 लाख प्रतिवर्ष तक के कार्यों का विवरण एवं ठेके की राशि का विवरण (सूची रूप में) साथ में तत्संबंधी दस्तावेज भी लगाये जाये। (निविदा शर्त क्र.5)	
5.	सुरक्षा एजेंसी को एक ही परिसर में कम से कम 100 कर्मचारियों वाले कार्यालय/संस्था/अस्पताल में सुरक्षा कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव (वर्षवार सूची देवे) साथ में तत्संबंधी दस्तावेज लगावें। (निविदा शर्त क्र. 6)	
6.	सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीयन होने का प्रमाण यदि छूट प्राप्त हो तो संबंधित विभाग का तदाशय का प्रमाण पत्र लगावें। (निविदा शर्त क्र. 7)	
7.	वित्तीय वर्ष 2011-2012, 2012-013 एवं 2013-014 वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य कर बकाया न होने पर शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित (निविदा शर्त क्र. 8)	

8.	वर्षांत 2011-2012, 2012-013 एवं 2013-2014 की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की स्व-प्रमाणित छायाप्रति साथ ही उपरोक्त सीट में सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिये किये गये भुगतान की जो राशि का कुल योग एवं तदाशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लगायें। (निविदा शर्त क्र. 9)	
9.	फर्म के पास शैक्षणिक रूप से योग्य चरित्रवान सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है इस आशय का घोषणा पत्र लगाना होगा। (निविदा शर्त क्र. 10)	
10.	फर्म द्वारा पालन किये जाने वाले श्रम एवं अन्य कानूनों का नाम तथा उनके संबंध में यदि फर्म का पंजीयन आवश्यक हो तो पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा पंजीयनों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ। (निविदा शर्त क्र. 11)	

नोट:-

- शर्त- 1. तकनीकी बिड में अगर निविदाकार द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दी जाती है, तो प्रबंधन द्वारा तत्काल निविदा अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात कर द्वितीय ठेकेदार को जो तकनीकी योग्यता रखता होगा दे दी जावेगी जिसके लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
2. तकनीकी बिड में प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को तकनीकी बिड के सीरियल न0 के अनुसार संलग्न करें।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे में सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय , रीवा ।

वषय:- सुरक्षा व्यवस्था बाबत निविदा।

महोदय,

आपके द्वारा (समाचार पत्र का नाम) में दिनांक को प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में आपके नाम का रु. 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) का एफ.डी.आर क्रमांक दिनांक संलग्न कर निविदा प्रस्तुत है।

1. संस्था का नाम
2. सुरक्षा सुपरवाइजर की प्रति पाली (8 घण्टे) प्रतिदिन प्रतिमाह की दर (सभी शुल्कों + एजेंसी द्वारा लिये जाने वाले शुल्क एवं सभी वैधानिक अंशदानों एवं करों को शामिल करते हुये। सभी शुल्कों, अंशदान एवं करों का प्रथक-प्रथक विवरण भी दिया जाये)
अंको में -
शब्दों में -
3. सुरक्षा गार्ड की प्रतिपाली (8 घण्टे) प्रतिदिन प्रतिमाह की दर (सभी शुल्कों + करों को शामिल करते हुये। सभी शुल्कों, अंशदान एवं करों का प्रथक-प्रथक विवरण भी दिया जायें।)
अंको में -
शब्दों में -
4. संस्थागत (संस्था के खर्च) के विविध कार्यों हेतु जैसे हथियार, वर्दी, डंडा, स्टेशनरी प्रशासकीय कार्यों हेतु राशि अंको में शब्दों में प्रतिमाह की दर से।
5. कुल राशि प्रति माह अंको में शब्दों में

.....

(बिन्दू क्रमांक 1 - 4 से योग)

उपरोक्त राशियों में केन्द्र एवं राज्य शासन एवं स्थानीय शासन के सभी प्रकार के शुल्क एवं कर तथा विभिन्न अंशदान शामिल है और उनकी दरों के प्रमाण स्वरूप शासनदेशों की छायाप्रति संलग्न है। इन शुल्कों और करों को प्रतिमाह जमाकर प्रमाण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मेरा होगा। टैक्स परिवर्तन होने पर भी सभी टैक्स भरने की जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मैं उक्त अंकित राशि के अलावा अन्य कोई राशि की माँग नहीं करूँगा। निविदा प्रपत्र के साथ सभी 53 शर्तें मैने पढ ली है वह मुझे स्वीकार्य है।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

.....

दूरभाष क्रमांक

फैक्स क्रमांक

निविदा प्रपत्र का क्रमांक

निविदा प्रपत्र की बिक्री का दिनांक

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नोट:- कृपया एक मुश्त दरें नियत स्थान पर ही लिखे, किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कांटछांट नहीं करें तथा उपरोक्त दरों के अलावा फार्म में किसी अन्य प्रकार का नोट/शर्तें लिखने पर निविदा अमान्य की जावेगी।

&?kkSk.kk&i =&

¼00@& : i ; s dsukuT; ¶Mfl ; y LVKEi isj ij iLr¶ fd;k tk;s½

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदाकार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्स्ट्रक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा चिकित्सालयों मे निगरानी सुरक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर उससे जो नुकसान होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।

fnukd%

¼ufonkd kj ds gLrk{kj½

uke& -----

ijk irk& -----

Qku , oaekck u-& -----

fufonk vkonu iā = dk ik: i okgu LVSM I gj{kk 0; oLFkk grq

¶ufonkdj viusy¶jgM ea iLrq dj¶

1. निविदाकार का पूरा नाम
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.
एवं पंजीयन की छायाप्रति
3. उम्र/लिंग/पुरुष/स्त्रीवर्ष.....पु०/म०.....
4. पिता का नाम
5. स्थानीय पता
6. स्थायी पता
- पते से संबंधित उचित दस्तावेज संलग्न करें।.....
7. राजपत्रित अधिकारी से.....
प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो
संलग्न करें।
8. पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापित चरित्र
- प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. अनुभव प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ संलग्न करें.....
10. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र.....
11. वाहन सुरक्षा ठेके की अमानती राशि रु.
रु. 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार) अंको एवं शब्दों में लिखें।.....
12. एफ.डी.आर. क्र. एवं दिनांक
13. पैन कार्ड/टिन नम्बर
- (छायाप्रति संलग्न करें।).....
14. आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र के बतौर पिछले दो वर्षों की आयकर रिटर्न जमा करने की रसीदों की छायाप्रति।
15. अन्य जानकारी एवं संबंधित
- दस्तावेज संलग्न करें।

नोट:- मैंने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा क्र..... दिनांक को.....
.....समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, के अनुसार वाहन सुरक्षा व्यवस्था का ठेका
सभी शर्तों के साथ मान्य करता हूँ।

gLrk{kj fufonkdj ,oa iwkZ irk

**खलक Lekjd fpfdRI ky; , oa l t; xkalk Lekjd fpfdRI ky; jhok
की I j {kk 0; oLFkk gsrq**

jV I ph

मै/हम (फर्म) श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सिंग छात्रावास एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था ।

निविदा क्र०..... दिनांक.....

I j {kk 0; oLFkk dsfy; sekfI d nj

क्रमांक	विवरण	राशि अंको मे	राशि शब्दो मे
1.	निविदा प्रपत्र मे संलग्न सिड्यूल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के कार्य (ए) के लिये मासिक दर अ. सुरक्षा सुपरवाइजर 3 ब. सुरक्षा गार्ड 59 स. संस्था का व्यय		
2.	करो की राशि का उल्लेख पृथक पृथक करे		
3.	कुल योग		

fufonkdj ds gLrk{kj , oa ijk i rk